

समान जी,

संख्या 2048-51 के खाला सं० 101 में सोवरन पुत्र कोजी हि० 1/3 हमारा पुत्र
हि० 1/3 राजवीर कर्तार देवीराज विजेन्द्र सहीराज रामेश्वर कि० पंचम हि० व. 6/21 रिफार्ड इज
के खाला सं० 158 के सोवरन पुत्र कोजी हि० 1/2 देवाराज पुत्र पंचम हि० 1/2 जिन्नी पुत्र गज्ज हि० 1/2
विजेन्द्र सहीराज रामेश्वर कि० पंचम हि० 6 रिफार्ड इज किया गया।

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.


जबकि सोवरन पुत्र कोजी हि० 1/3 राजवीर कर्तार देवीराज सहीराज रामेश्वर
हि० नं० 14 - ग्रायलप रीती के मुताबिक सोवरन पुत्र कोजीराज हि० 1/2 में से हि० 1/8
के नाम अंकन किया तथा शेष हि० 3/8 सोवरन पुत्र कोजीराज का इन्चाण किया गया। जो गलत है। सोवर
का खरेदार था। राजाबाई 1/8 खालेदा होने के बाद सोवरन हि० 5/24 का होना चाहिए था।

इ० नं० 38 से सोवरन हि० 1/4 का बेचाव सहीराज पुत्र पंचम हि० 1/4 का 14
है। जबकि सोवरन का हि० 5/24 ही शेष रहा था। सोवरन द्वारा अपने हिस्से के अधिकांक का वयनामा
इ० नं० 194 से सहीराज पुत्र पंचम की विरासत हि० 5/18 से गुड़ीपत्नी व वराना अर्ध
जुमान व दीपक अविनाश स्टेटिल पुत्रान कि० सहीराज हि० व० 5/18 से की गई। जबकि सहीराज पुत्र पंचम की विरा
के नाम 129/504 से की जानी चाहिए थी। संख्या 2011-74 के खाला सं० 155 में सोवरन पुत्र कोजीराज हि० 1/8 से विरा
जबकि सोवरन पुत्र कोजीराज का हि० इज्जत ख० नं० में नहीं बनाया-चाहिए था। तथा इ० नं० 199 से सोवरन का
मिले हिस्से 1/16 से जाधु उक्त सोवरन हि० 1/16 का वयनामा दिया शेष श्वीना पुत्री सोवरन हि० 1/16 पूर्ण किया जी
चूकि खाला सेमीगेशन जमावन्दी के अपवाहित खाले की श्रेणी में है अतः खाला 3/8
जाना-चाहिए। अतः समस्त पुराने रिफार्ड का अवलोकन किया जा उक्त खाला राजाबाई पुत्री कोजीराज हि० 1/8 हमारा
पंचम हि० 1/2 राजवीर कर्तार देवीराज विजेन्द्र रामेश्वर कि० पंचम हि० 5/21 गुड़ीपत्नी सहीराज हि० 1/4 4536

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

नायब तहसीलदार सहीराज हि० 387/4536 जिन्नी पुत्र गज्ज हि० 1/8 होना चाहिए था।
रिपोर्ट अधीन कर्तव्यहीन है। अवलोकनार्थ एवं अडिवाय देड लाडा प्रेषित है।


6/4/15


12/4/15

अतिरिक्त रिपोर्ट पटवारी द्वारा
सुराजीखेडा एवं इ.र.कृत सुराजीखेडा
के भिन्न 136 के तहत मुडि किया
जाना उचित है।

उ० सं० 149 कि० 15-04-19

आदेश

उपरोक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा
L R Act 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार (भू० अ.नि.)
घोलपुर (राज०)

12.4.15
उपखण्डाधिकारी
घोलपुर (राज०)

उप खण्ड अधिकारी